न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 299 / 2022

रामजीदास पुत्र भगवानदास, जाति स्वामी, निवासी नीम का जोहड, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।
——आवेदक

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक झुंझुनूं।
2. रामलाल (मृतक)
3. मोहनलाल पुत्र रामलाल
4. किशनलाल पुत्र रामलाल
5. द्वारकाप्रसाद पुत्र रामलाल (मृतक)
6. शंकरलाल पुत्र रामलाल
7. मदनलाल पुत्र रामलाल (मृतक)
8. सॉवरमल पुत्र मदनलाल
9. ओमप्रकाश पुत्र किशनलाल
10. घासीराम पुत्र छोटेलाल
11. शिवलाल पुत्र छोटेलाल

जाति जांगिड, निवासी नीम का जोहड तन छापोली, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।
—— अनावेदकगण

— — —

आवेदन पत्र अ0 धारा 411 जा0फौ0 बउनवानी मुकदमा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट उदयपुरवाटी बउनवानी मुकदमा सरकार बनाम रामजीदास पार्टी नं0 1 व रामलाल वगैरह पार्टी नं0 2 मु0सं0 1 / 2008 अ0 धारा 145 जा0फौ0

— — —

उपस्थितः—

1. श्री रणजीत सिंह, अभिभाषक— आवेदक की ओर से उपस्थित।
2. श्री संदीप काजला, अभिभाषक— अनावेदकगण सं0 3, 4, 6, 8 लगायत 10 की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— अनावेदक सं0 1 की ओर से उपस्थित।
4. अप्रार्थी सं0 2, 5, 7 की मृत्यु हो जाने से तलबी आवश्यक नही।

आदेश

दिनांक 21.12.2022

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न है कि आवेदक रामजीदास की तरफ से आवेदन नीचे लिखे अनुसार पेश है कि एक इस्तगासा अ0धारा 145 जा0फौ0 का पुलिस थाना उदयपुरवाटी ने अदालत मातहत एसडीएम उदयपुरवाटी की अदालत में पेश किया व उक्त इस्तगासा दर्ज रजिस्टर होकर के पार्टी नं0 1 व पार्टी नं0 2 को नोटिस जारी किये व बाद सुनवाई अदालत हाजा ने इस्तगासे में तहसीलदार उदयपुरवाटी को रिसीवर नियुक्त किया व तहसीलदार उदयपुरवाटी ने जमीन जैर बहस पर कब्जा प्राप्त कर लिया व रिसीवर अभी भी कायम है। जमीन जैर बहस मन्दिर की जमीन है वह मन्दिर की जमीन की रक्षा करने का दायित्व सरकार को जरिये अदालत हाजा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.01.09 16:36:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनू

जमीन जैर बहस मन्दिर की जमीन है व दरखवास्त देहन्दा मन्दिर का पुजारी है व विपक्षीगण संख्या बल में अधिक है व मन्दिर की जमीन को खुर्द बुर्द कर कब्जा करने की नियत से आबाद है व संख्या बल अधिक होने के कारण वह अधिक मतदाता होने के कारण राजनैतिक रूप से वोटो की गिनती के कारण स्थानीय मन्त्री के असर में है। अदालत मातहत मे अपने पत्र कमांक 2021/805 दिनांक 28.12.2021 के द्वारा थानाधिकारी उदयपुरवाटी को जमीन जैर बहस 145 जा0फौ0 मुकदमा संख्या 1/2008 के द्वारा यह रिपोर्ट चाही कि मुकदमा काफी पुराना हो चुका है मौके पर दोनों पक्षो के कोई विवाद है अथवा नही इस बाबत रिपोर्ट 7 दिन में भिजवाने का निवेदन किया उक्त पत्र पुलिस थाना उदयपुरवाटी दिनांक 04.01.2022 को मिला जिस पर थानाधिकारी ने मनमोहन हैड कान्सटेबल सं0 126 को वाद बाद जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश की पालना में मनमोहन सिंह हैड कान्सटेबल नं0 126 ने अपनी रिपोर्ट थानाधिकारी उदयपुरवाटी को पेश की जिसमें दर्ज किया कि विवादित भूमि ख0न0 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 39 से 46, 50 से 54, 84, 85 जो मुताबिक राजस्व रिकार्ड माफी मन्दिर गोपाल जी की भूमि होना बताया। वह जिसमें पूर्व से दोनों पक्षों में मध्य विवाद चल रहा होना बताया कि वह यह भी दर्ज किया कि उक्त भूमि पर वर्तमान में स्थगन आदेश चल रहा है यदि उक्त विवादित भूमि पर वर्तमान में स्थगन आदेश चल रहा है। यदि उक्त विवादित भूमि पर से स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है तो दोनो पक्षों के मध्य फिर से झगडा विवाद हो सकता है। वर्तमान में दोनों पक्षों के मध्य फिर से झगड़ा विवाद हो सकाता है। वर्तमान में दोनो पक्षो के मध्य मनमुटाव चल रहा है। उक्त रिपोर्ट पुलिस थाना उदयपुरवाटी अपने पत्र कमांक 830 दिनांक 16.02.2022 के द्वारा अदालत मातहत में भेजी व अदालत मातहत की आर्डर सीट दिनांक 21.03.2022 उक्त रिपोर्ट आना व दोनों पक्षों में मनमुटाव चल रहा यह दर्ज किया व पत्रावली दिनांक 25.04.2022 आगामी तारीख पेशी में रखी। अदालत मातहत ने बिना किसी आदेश के एक पत्र थानाधिकारी उदयपुरवाटी पत्र कमांक 2022/715 दिनांक 28.06.2022 के द्वारा जमीन जैर बहस के बाबत वर्तमान में पार्टी नं0 1 व पार्टी नं0 2 के मध्य कोई विवाद है या नही इसकी रिपोर्ट मंगवाने बाबत लिखा उक्त पत्र दिनांक 30.06.2022 को थानाधिकारी उदयपुरवाटी के यहां पहुंचा व थानाधिकारी उदयपुरवाटी ने दिनांक 30.06.2022 को ही जांच के लिये मनमोहन सिह हैड कान्सटेबल नं0 126 को दे दिया व मनमोहन हैड कांन्सटेबल ने अपनी जांच में कोई झगड़ा होना नही बताया व थानाधिकारी उदयपुरवाटी ने उक्त रिपोर्ट अदालत हाजा में पेश कर दी। कानूनन जब अदालत हाजा की आदेशिका दिनांक 21.03.2022 के अनुसार मौके पर शान्ति भंग होने का अन्देशा की रिपोर्ट आ चुकी है तो दूसरी रिपोर्ट मंगवाने का कायदा नही था। जमीन जैर बहस में खरीदने बाबत भू माफिया पार्टी व पार्टी नं0 2 अदालत हाजा में घूम रहे है कि हम कुर्की हटवाकर मन्दिर भूमि का कब्जा कर लेंगे। विपक्षीगण संख्या बल में अधिक है व आवेदक के साथ जमीन को लेकर के काफी दफा मारपीट व पेड़ पौधे काटकर व चोरी कर ले जाने के प्रकरण काफी संख्या में दर्ज हैं इसी को मानकर अदालत मातहत ने अपने आदेश के द्वारा जमीन को कुर्क कर रिसिवर के कब्जे में दिया था। विपक्षीगण इस जमीन को किसी भू माफिया के परिवारजन को कब्जा करवाने पर आमदा है। अदालत मातहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट उदयपुरवाटी श्री रामसिह जी राजावत से प्रार्थी को न्याय की आशा नही है। विपक्षीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.01.09 16:36:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

पार्टी नं0 2 व उनके अन्य परिवारजन आम एहलानिया करते फिरते है। कि इस जमीन पर हम कब्जा करेंगें। जमीन करीबन 100 बीघा है जो कि मन्दिर के नाम से है कानूनन जमीन की रक्षा करने का दायित्व अदालत हाजा को है। अतः दरखवास्त मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रकरण सरकार बनाम रामजीदास स्वामी पार्टी नं0 1 व रामलाल जागिड़ वगैरह पार्टी नं0 2 मुकदमा अ0धारा 145 जा0फौ0 मुकदमा संख्या 1/2008 को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट व कार्यपालक मजिस्ट्रेट से विड्रा कर किसी अन्य उपखण्ड मजिस्ट्रेट व कार्यपालक मजिस्ट्रेट को स्थानान्तरित किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ने पत्रांक न्याय/2022/722 दिनांक 12.10.2022 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बिन्दूवार अवगत कराया कि बिन्दू सं0 1 व 2 मे अंकित तथ्य स्वीकर है। बिन्दू सं0 3 प्रार्थी स्वयं सिद्व करें। बिन्दू सं0 4 मे अंकित तथ्य स्वीकर है। है। बिन्दू सं0 5 मे अंकित तथ्य प्रार्थी स्वयं सिद्व करें। बिन्दू सं0 6 मे अंकित तथ्य मनगढन्त एवं निराधार है। न्यायालय साक्ष्य हेतु कभी भी रिपोर्ट मंगवा सकता है। बिन्दू सं0 7, 8 व 9 मे अंकित तथ्य प्रार्थी स्वयं सिद्व करें। बिन्दू सं0 10 मे अंकित तथ्य मनगढन्त एवं निराधार है। प्रकरण मे नियमानुसार विधिनुसार कार्यवाही जैरकार है। बिन्दू सं0 11 व 12 मे अंकित तथ्य प्रार्थी स्वयं सिद्व करें। बिन्दू सं0 13, 14 व 15 मे अंकित तथ्य कानूनी है। अतः वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रेषित कर निवेदन है कि प्रकरण सरकार बनाम रामजीदास स्वामी पार्टी नं0 1 व रामलाल जांगिड वगैरह पार्टी नं0 2 मुकदमा अ0धारा 145 जा0फौ0 मुकदमा संख्या 1/2008 इस न्यायालय मे नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। फिर भी यदि उक्त प्रकरण को माननीय न्यायालय द्वारा अन्य किसी न्यायालय मे स्थनान्तरित किया जाता है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को कोई ऐतराज/आपत्ति नही है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि एक इस्तगासा अ0धारा 145 जा0फौ0 का पुलिस थाना उदयपुरवाटी ने अदालत मातहत एसडीएम उदयपुरवाटी की अदालत मे पेश किया व उक्त इस्तगासा दर्ज रजिस्टर होकर के पार्टी नं0 1 व पार्टी नं0 2 को नोटिस जारी किये व बाद सुनवाई अदालत हाजा ने इस्तगासे में तहसीलदार उदयपुरवाटी को रिसिवर नियुक्त किया व तहसीलदार उदयपुरवाटी ने जमीन जैर बहस पर कब्जा प्राप्त कर लिया व रिसीवर आज भी कायम है। जमीन जैर बहस मन्दिर की जमीन है वह मन्दिर की जमीन की रक्षा करने का दायित्व सरकार को जरिये अदालत हाजा है। जमीन जैर बहस मन्दिर की जमीन है व प्रार्थी देहन्दा मन्दिर का पुजारी है व विपक्षीगण संख्या बल में अधिक है व मन्दिर की जमीन को खुर्द बुर्द कर कब्जा करने की नियत से आबाद है व संख्या बल अधिक होने के कारण वह अधिक मतदाता होने के कारण राजनैतिक रूप से वोटो की गिनती के कारण स्थानीय मंत्री के असर में हुए अदालत मातहत मे अपने पत्र कमांक 2021/805 दिनांक 28.12.2021 के द्वारा थानाधिकारी उदयपुरवाटी को जमीन जैर बहस 145 जा0फौ0 मुकदमा संख्या 1/2008 के द्वारा यह रिपोर्ट चाही कि मुकदमा काफी पुराना हो चुका है

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.01.09 16:36:12 IST
Reason: SelfAttested

मौके पर दोनों पक्षो के कोई विवाद है अथवा नही इस बाबत रिपोर्ट 7 दिन में भिजवाने का निवेदन किया उक्त पत्र पुलिस थाना उदयपुरवाटी दिनांक 04.01.2022 को मिला जिस पर थानाधिकारी ने मनमोहन हैड कान्सटेबल सं0 126 को वाद बाद जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश की पालना में मनमोहन सिंह हैड कान्सटेबल नं0 126 ने अपनी रिपोर्ट थानाधिकारी उदयपुरवाटी को पेश की जिसमें दर्ज किया कि विवादित भूमि ख0न0 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 39 से 46, 50 से 54, 84, 85 जो मुताबिक राजस्व रिकार्ड माफी मन्दिर गोपाल जी की भूमि होना बताया। वह जिसमें पूर्व से दोनों पक्षों में मध्य विवाद चल रहा होना बताया कि वह यह भी दर्ज किया कि उक्त भूमि पर वर्तमान में स्थगन आदेश चल रहा है यदि उक्त विवादित भूमि पर वर्तमान में स्थगन आदेश चल रहा है। यदि उक्त विवादित भूमि पर से स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है तो दोनो पक्षों के मध्य फिर से झगडा विवाद हो सकता है। वर्तमान में दोनों पक्षों के मध्य फिर से झगड़ा विवाद हो सकाता है। वर्तमान में दोनो पक्षो के मध्य मनमुटाव चल रहा है। उक्त रिपोर्ट पुलिस थाना उदयपुरवाटी अपने पत्र कमांक 830 दिनांक 16.02.2022 के द्वारा अदालत मातहत में भेजी व अदालत मातहत की आर्डर सीट दिनांक 21.03.2022 उक्त रिपोर्ट आना व दोनों पक्षों में मनमुटाव चल रहा यह दर्ज किया व पत्रावली दिनांक 25.04.2022 आगामी तारीख पेशी में रखी। अदालत मातहत ने बिना किसी आदेश के एक पत्र थानाधिकारी उदयपुरवाटी पत्र कमांक 2022/715 दिनांक 28.06.2022 के द्वारा जमीन जैर बहस के बाबत वर्तमान में पार्टी नं0 1 व पार्टी नं0 2 के मध्य कोई विवाद है या नही इसकी रिपोर्ट मंगवाने बाबत लिखा उक्त पत्र दिनांक 30.06.2022 को थानाधिकारी उदयपुरवाटी के यहां पहुंचा व थानाधिकारी उदयपुरवाटी ने दिनांक 30.06.2022 को ही जांच के लिये मनमोहन सिह हैड कान्सटेबल नं0 126 को दे दिया व मनमोहन हैड कांन्सटेबल ने अपनी जांच में कोई झगड़ा होना नही बताया व थानाधिकारी उदयपुरवाटी ने उक्त रिपोर्ट अदालत हाजा में पेश कर दी। कानूनन जब अदालत हाजा की आदेशिका दिनांक 21.03.2022 के अनुसार मौके पर शान्ति भंग होने का अन्देशा की रिपोर्ट आ चुकी है तो दूसरी रिपोर्ट मंगवाने का कायदा नही था। जमीन जैर बहस में खरीदने बाबत भू माफिया पार्टी व पार्टी नं0 2 अदालत हाजा में घूम रहे है कि हम कुर्की हटवाकर मन्दिर भूमि का कब्जा कर लेंगे। विपक्षीगण पार्टी नं0 2 संख्या बल में अधिक है व आवेदक के साथ जमीन को लेकर के काफी दफा मारपीट व पेड़ पौधे काटकर व चोरी कर ले जाने के प्रकरण काफी संख्या में दर्ज हैं इसी को मानकर अदालत मातहत ने अपने आदेश के द्वारा जमीन को कुर्क कर रिसिवर के कब्जे में दिया था जो रिसिवर आज भी चालू है। विपक्षीगण इस जमीन को किसी भू माफिया के परिवारजन को कब्जा करवाने पर आमदा है। अदालत मातहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट उदयपुरवाटी श्री रामसिह जी राजावत से प्रार्थी को न्याय की आशा नही है। विपक्षीगण पार्टी नं0 2 व उनके अन्य परिवारजन आम एहलानिया कहते फिरते है। कि इस जमीन पर हम कब्जा करेंगें। जमीन करीबन 100 बीघा है जो कि मन्दिर के नाम से है कानूनन जमीन की रक्षा करने का दायित्व अदालत हाजा को है अतः प्रकरण सरकार बनाम रामजीदास स्वामी पार्टी नं0 1 व रामलाल जागिड़ वगैरह पार्टी नं0 2 मुकदमा अंतर्गत 145 जा0फौ0 मुकदमा संख्या 1/2008 को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट व कार्यपालक मजिस्ट्रेट से विड्रा कर किसी अन्य उपखण्ड मजिस्ट्रेट व कार्यपालक मजिस्ट्रेट को स्थानान्तरित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.01.09 16:36:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

वकील अप्रार्थी सं0 3, 4, 6, 8 लगायत 10 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत मे अप्रार्थीगण का मुकदमा 2008 से चल रहा है। प्रार्थी द्वारा अदालत मातहत से साक्ष्य हेतु भी काफी अवसर ले लिये है। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर कोई आरोप नही लगाये है। न्याय मे देरी के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी पर कोई विशिष्ट आरोप नही लगाये है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने की कृपा करे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। वकील प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी मे विचाराधीन बउनवानी मुकदमा सरकार बनाम रामजीदास पार्टी नं0 1 व रामलाल वगैरह पार्टी नं0 2 मु0सं0 1/2008 अ0 धारा 145 जा0फौ0 का स्थानान्तरण अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित करने हेतु कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नही बता पाये। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 21.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलेक्टर झुंझुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.01.09 16:36:12 IST
Reason: SelfAttested